

स्मृति पत्र

- 1- संस्था का नाम :: डा०बी०आर० अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान ।
 2- संस्था का पता :: प्रेम बाग, श्यामलाल की बगिया, ग्वालियर रोड़ आगरा
 3- संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत ।
 4- संस्था का उद्देश्य :: 1- सिधार्थ सोशल टेकनोलोजी संस्थान एवं विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज खोलना ।

- 2- विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षण सुविधाओं के साथ ही प्रोवेंशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना का संचालन करना तथा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को अवसर प्रदान कराने में सहयोग देना ।
 3- महात्मा बौद्ध के सिद्धान्तों के आधार पर बुद्धमावलम्बी की शैक्षिक व प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान व गन्वेषणात्मक कार्य करना ।
 4- छात्र एवं छात्राओं के आवासीय प्रबन्ध हेतु छात्रावास का प्रबन्ध करना ।
 5- उच्च स्तरीय पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों के अतिरिक्त डा० अम्बेडकर द्वारा रचित ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा प्रदान करना ।
 6- सहायता एवं निधन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
 7- डा० अम्बेडकर के उपदेश माला के अनिवार्य रूप से स्नातक स्तर तक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना तथा उसमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
 8- भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार अथवा विदेशी सरकारी एवं स्जेन्सियों तथा संस्थाओं से भारत सरकार की अनुमति से ऋण या अनुदान अथवा सम्पत्ति प्राप्त करना ।
 9- अनुसूचित जाति, जनजाति विमुक्त जाति एवं पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए गन्वेषणात्मक कार्य करना ।
 10- विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले महानुभावों को डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श लेना ।
 11- भारतवर्ष के जन साधारण में ऐसे ज्ञान एवं विचार का प्रसार करना जिससे वे लोग विघटनकारी शक्तियों का सामना कर सकें तथा राष्ट्रीय एकता की कड़ी को मजबूत बना सकें ।
 12- डा० अम्बेडकर विचार को प्रचार हेतु दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा प्रसार करना ।



बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान

प्रमोद कुमार

अध्यक्ष

गुणवत्ता

P. Kumar

अशोक कुमार

अध्यक्ष

डा० बी० आर० अम्बेडकर

बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान, सत्य प्रतिलिपि

प्रेम बाग ग्वालियर रोड़, आगरा

उप निबंधक

सत्य सोसाइटीज एवं चिन्त

आगरा क्षेत्र, आगरा

20/12/2010

Dr. B. R. Ambedkar Bahu Udeshiya
Evam Seva Sansthan, Agra

..... 10/2

Secretary

- 13- औद्योगिक क्षेत्र में नये नये विकास की तकनीकी व योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण से बनी वस्तुओं को संस्था के लिए निस्तारण करना ।
- 14- विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध कालेज हेतु अचल सम्पत्ति जैसे मकान अथवा जमीन का क्रय करना अथवा स्वयम् सेवीय संस्थाओं व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से लोगों द्वारा दान के रूप में प्राप्त करना ।
- 15- ऐसे अन्य कार्य सम्पन्न करना जो संस्थान के हित व प्रगति के लिए आवश्यक हों ।

5- प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय पद जिनको संस्था नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्रम सं०	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1-	श्री गुलाब सेहरा	अध्यक्ष	पंजा मंदरसा, आगरा	व्यापार
2-	श्री वीरेन्द्र सोन	उपाध्यक्ष	नगला छऊआ, आगरा	व्यापार
3-	श्री चन्द्र भान वर्मा	सचिव	बुन्दू कटरा आगरा	व्यापार
4-	श्री राम प्रसाद कमलेश	सहायक सचिव	न्यू गोपालपुरा आगरा	नौकरी
5-	श्री रसीद अहमद कुरेशी	सह सचिव	नाई की मण्डी आगरा	व्यापार
6-	श्री सत्य प्रकाश आनन्द	कोषाध्यक्ष	सेवला ग्वालियर रोड आगरा	नौकरी
7-	श्री डी०सी० सौनी	सहायक कोषाध्यक्ष	विश्वदिसानी नगर शाहगंज आगरा	नौकरी
8-				
9-				
10-				
11-				



6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के नियुक्त प्रतिनिधियों के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं :-

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1-	गुलाब सेहरा	<i>Gulab Sehra</i>
2-	वीरेन्द्र सोन	
3-	चन्द्रभान वर्मा	<i>Chandrabhan Verma</i>
4-	रामप्रसाद कमलेश	
5-	रसीद अहमद कुरेशी	<i>Rasheed Ahmad Qureshi</i>
6-	सत्य प्रकाश आनन्द	<i>Saty Prakash Anand</i>
7-	डी०सी० सौनी	
8-	अशोक कुमार वर्मन	<i>Ashok Kumar Verma</i>
9-	काशी राम	
10-	जीवन लाल	
11-	रमेश चन्द देहरे	

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
सोसायटी रजिस्ट्रेशन
आगरा क्षेत्र, आगरा
20/12/2010

Dr. B. R. Ambedkar Bahu Uddeshiya Shikshan
Evam Sewa Sansathan, Agra

नियमावली

- 1- संस्था का नाम :: डायो बी०आर० अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान ।
- 2- संस्था का पता :: प्रेमबाग, श्यामलाल की बगिया, ग्वालियर रोड आगरा
- 3- संस्था का कार्य क्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत ।
- 4- समिति की स्थापना :: इस समिति के संस्थापक श्री गुलाब सेहरा, अध्यक्ष उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद जो पूज्य बाबा श्री भीमराव अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध की पुण्यस्मृति में विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्यों का मार्गदर्शन करते रहेंगे ।

5- संस्था के सदस्य दो प्रकार के होंगे :-

- क- संरक्षक सदस्य :- कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा स्वस्थ एवं निरोगी मस्तिष्क का हो वह संस्था को 10,000/- से 50,000/- तक देकर संस्था का संरक्षक सदस्य बन सकता है ये सदस्य आजीवन बने रहेंगे ।
- ख- साधारण सदस्य :- कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा स्वस्थ एवं निरोगी मस्तिष्क का हो वह संस्था को 1000/- से 5000/- तक देकर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है । ये सदस्य आजीवन बने रहेंगे ।



6- संस्था के दो-अप होंगे :-

- क- साधारण सभा :- इस सभा का गठन संरक्षक एवं साधारण सदस्यों द्वारा किया जायेगा । इनकी बैठक प्रथम में एक बार विस्तीर्ण वर्ष के समाप्त पर होगी । बैठक की सूचना की अवधि 15 दिन होगी । इस सभा की गणपूर्ति सम्पूर्ण सदस्य के 1/3 की उपस्थिति से पूरी होगी । यदि सभा का एक बार स्थगन हो गया है तो दोबारा उप-निबंधक सभा के संचालन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।
- ख- संरक्षक सभा :- इस सभा का गठन संरक्षक सदस्यों द्वारा किया जायेगा । इनकी बैठक प्रथम में एक बार विस्तीर्ण वर्ष के समाप्त पर होगी । बैठक की सूचना की अवधि 15 दिन होगी । इस सभा की गणपूर्ति सम्पूर्ण सदस्य के 1/3 की उपस्थिति से पूरी होगी । यदि सभा का एक बार स्थगन हो गया है तो दोबारा उप-निबंधक सभा के संचालन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

डा० बी० आर० अम्बेडकर
बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
प्रेमबाग ग्वालियर रोड, आगरा

की अनुमति से संस्था से संबंधित अन्य प्रकरणों पर भी ~~प्रकरण~~ साधारण सभा के विचार विमर्श करने का अधिकार होगा। साधारण सभा संस्था के कार्य संचालन में सुझाव रख सकती है जिस पर संस्था के कार्यकारिणी सभा विचार-विमर्श करके निर्णय लेगी। यह सभा प्रबन्ध कार्यकारिणी के लिए सदस्यों का चुनाव इसी सभा के लोगों में से करेगी।

शुक्रवार
22/12/20

ख - प्रबन्धकारिणी सभा :- इस सभा में सम्प्रति अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष एवं माननीय सदस्य होंगे। अध्यक्ष की अनुमति से इस सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यही सभा सर्वोपरि होगी एवं संस्था का कार्य संचालन इसी सभा द्वारा किया जायेगा। संस्था के सभी मामले इस सभा के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाया करेंगे। यदि किसी मामले में समान मत पक्ष और विपक्ष में आते हैं तो ऐसे मामले में अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होगा और अध्यक्ष द्वारा दिस गर मत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।



प्रबन्धकारिणी सभा यदि उचित समझती है तो एक उपसभा का अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष तथा कुछ सदस्यों के द्वारा कर सकती है और इस उपसभा का निर्णय प्रबन्धकारिणी सभा का निर्णय माना जावेगा।

इस सभा का गठन निम्न प्रकार से होगा :- प्रबन्धकारिणी सभा का अध्यक्ष इस समिति का संस्थापक होगा। सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। अवशेष चार सदस्यों का भी नामांकन अध्यक्ष द्वारा संरक्षक एवं साधारण सदस्यों में से किया जावेगा। शेष चार सदस्यों का चुनाव समिति के दोनों प्रकार के सदस्यों में से उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उस बढ़े हुए संख्या का 1/2 भाग सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे तथा शेष का निर्धारित विधि के अनुसार चयन किया जायेगा।

सत्य प्रतिनिधि
अध्यक्ष

सत्य प्रतिनिधि
अध्यक्ष


इस सभा के गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्थानोपरांत बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगा। इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह समिति के सभी प्रकार के अर्ज अभिलेखों, रजिस्टरों एवं पत्रावलियों का अवलोकन, परीक्षण एवं जांच करे। समिति के कार्यकलाप के संबंध में इस सभा को अवगत

बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
प्रो. म. बाग, स्वा. क. प. र. रोड, आगरा

की अनुमति प्राप्त करना तथा आहरण बिल पर इनका प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

अध्यक्ष यदि आवश्यक समझता है तो वह अपने कार्य को पूर्णतः अथवा अंशतः प्रबन्धकारिणी सभा के किसी व्यक्ति को सौंप सकता है । समिति के सम्पत्ति के अध्याप्त स्वम् निस्तारण अध्यक्ष हस्ताक्षर से होंगे ।

अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी सदस्यों में से स्वयं चुने, वह स्वेच्छा से अपने पद को त्याग सकता है इसके विरुद्ध अपिश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है ।



7- सचिव :- अध्यक्ष के नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा यही समिति के लिए नोटिस निर्धारण संबंधी रूप रेखा तैयार करेगा । प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा अनुमोदित नीति का कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सचिव होगा ।

समिति के उपयोग में आने वाले अभिलेखों, रजिस्टरों आदि का रखरखाव सचिव को करना होगा । अध्यक्ष की अनुमति से सभा की मीटिंग बुलाना तथा उनके लिए कार्यक्रम निश्चित करना सचिव का काम होगा ।

सभा द्वारा किये गये कार्य का विवरण सचिव रखेगा तथा प्रगति आख्या आगामी सभा की बैठक में रखने का कार्य सचिव करेगा । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा दिये गये किसी भी काम को सचिव करने को बाध्य होगा ।

सभा द्वारा निश्चित किये गये विधि के अनुसार सचिव को मानदेय दिया जा सकता है ।

ग- कोषाध्यक्ष :- अध्यक्ष की सुपरविजन देखरेख में एवं मार्ग दर्शन में काम करेगा । सभा द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार कोषाध्यक्ष को मानदेय दिया जा सकता है ।

कोषाध्यक्ष समिति की प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा रखेगा तथा अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार प्राप्त धनराशि की मान्यता प्राप्त बैंक में जमा करेगा । लेखा से सम्बन्धित रोकड़बही, लेजर, प्राप्त का रसीद तथा अन्य रजिस्टर का रख रखाव अध्यक्ष के सु सम्मुख रहे रखेगा ।

इसी प्रकार वार्षिक लेखे का विवरण तैयार करके प्रबन्धाकारिणी सभा के समक्ष रखेगा । कोषाध्यक्ष इस बात का उत्तरदायी होगा कि कोई भी धनराशि का आहरण तथा भुगतान अध्यक्ष की अनुमति के बिना न हो ।

समिति के लेखे का आडिट कराना कोषाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । इसके अतिरिक्त कोई भी काम जो संस्था के हित में है अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाय उसे कोषाध्यक्ष को करना होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सचिव निबंधक
संस्थान सोसाइटीज एवं बिट्टु
बापुरा क्षेत्र, आगरा
20/11/2010
अध्यक्ष

अशोक कुमार वर्मा
अध्यक्ष

डा० श्री. आर० अम्बेडकर
बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
प्र. सहाय ग्वालियर रोड, आगरा

8- लेखा परीक्षा :- समिति के लेख का परीक्षण वर्ष में एक बार होगा । यह लेखा परीक्षा प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा नियुक्त किसी योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा । इस कार्य के लिए सभा द्वारा उचित धनराशि लेखा परीक्षक को देय होगा । आडिट रिपोर्ट सभा के समक्ष रखा जावेगा ।

9- विवाद :- समिति से संबंधित अथवा पदधारक या कर्मचारी से उत्पन्न विवाद किसी अदालत में नहीं ले जाया जावेगा । सभी प्रकार के विवाद अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पंच द्वारा निर्णय किया जायेगा और यह निर्णय सर्वमान्य होगा ।

10- संशोधन :- समिति के नियमों उपनियमों का संशोधन प्रबन्धकारिणी सभा के 2/3 सदस्यों के एकमत होने पर किया जाता है । लेकिन अध्यक्ष से संबंधित किसी भी नियम का संशोधन अध्यक्ष के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है ।

11- विघटन :- समिति का विघटन उसके कारण उत्पन्न स्थिति में सोसायटी रजि० विनियम 13 अर्थात् 14 के अनुसार निर्णित की जावेगी ।

12- विविध :-
2- समिति द्वारा अध्यक्ष समिति के विरुद्ध कोई भी बात सचिव के माध्यम से होगी ।

3- प्रबन्धकारिणी सभा अथवा साधारण सभा के सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर अपने त्यागपत्र अध्यक्ष को सम्बोधित करेंगे ।

4- प्रबन्धकारिणी सभा के चुने हुए सदस्यों का त्यागपत्र प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा स्वीकार किया जावेगा और त्यागपत्र स्वीकार की तिथि से मान्य होगा ।

5- प्रबन्धकारिणी सभा के चुने हुए सदस्यों या किसी सदस्य को यदि सभा उचित समझती है तो हटा सकती है ।

6- समिति का अपना स्वयं का झंडा होगा जो समिति के कार्यालय तथा सजवतरों एवं सथोचित स्थानों पर फहराया जावेगा ।



विपदित संपत्ति का
निस्तारण
किया

सदस्य संकाय 2010

रिन्दसोन

सम्प्रसादकुमलेश

जोधा न लार

A. A. A.

अशोक कुमार वर्मा

अध्यक्ष

डा० बी० आर० अम्बेडकर
बहुउद्देश्यीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
ब्रह्मगण ग्वालियर रोड, आगरा

सत्य प्रतिलिपि

उपनिबंधक
सोसाइटीज एवं चिट्ठ
बागरा क्षेत्र, आगरा

02/01/2010